

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 532] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 1979/अग्रहायण 23, 1901
No. 532] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 14, 1979/AGRAHAYANA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1979

का. मा. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खण्ड (4) में अनुसरण में, श्री के. वी. नागराजा, वैज्ञानिक-ग को, लैफ्टिनेंट कर्नल ओ. पी. कपूर को स्थान पर 11 दिसम्बर, 1979 से 30 दिसम्बर, 1979 तक (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें हैं) की अवधि के लिए, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के निदेशक को सभी या किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त करती है और भा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधि

संख्या का. भा. 81, तारीख 8 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 में, स्तंभ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“श्री के. वी. नागराजा” ।

[संख्या पी 15014/3/79-पी एच (एफ एण्ड एन) पी एक ए]

टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1979

S.O. 503 (E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri K. V. Nagaraja, Scientist-C, to perform all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Mysore, vice Lt. Col. O. P. Kapur, for the period from the 11th December, 1979, to the 30th December, 1979 (Both dates inclusive), and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), No. S.O. 81, dated the 8th February, 1978, namely :—

In the Table to the said notification, in S. No. 1, for the entry in column

(1), the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri K. V. Nagaraja”.

[No. P. 15014/3/79-PH(F&N)PFA]

T. W. ANTONY, Jt. Secy.